वाइटल स्टैट्स

महाराष्ट्र की 13वीं विधानसभा का कामकाज

महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर, 2019 को होंगे। 13वीं विधानसभा का सत्र अक्टूबर 2014 से सितंबर 2019 के दौरान संचालित हुआ था। इस नोट में 2015 से 2018 के बीच 13वीं विधानसभा के कामकाज का विश्लेषण किया गया है (इसमें 2016 का दूसरा सत्र शामिल नहीं है, चूंकि हमें इसका डेटा उपलब्ध नहीं हुआ था)।

विधानसभा ने अपने निर्धारित समय का 112% कार्य किया

निर्धारित समय की तुलना में काम के घंटों का %

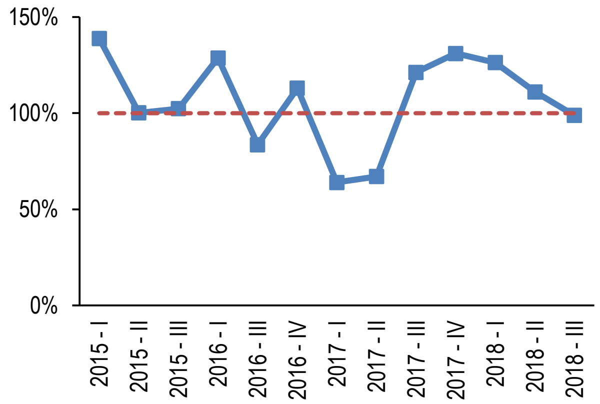

कामकाज के कुल घंटे

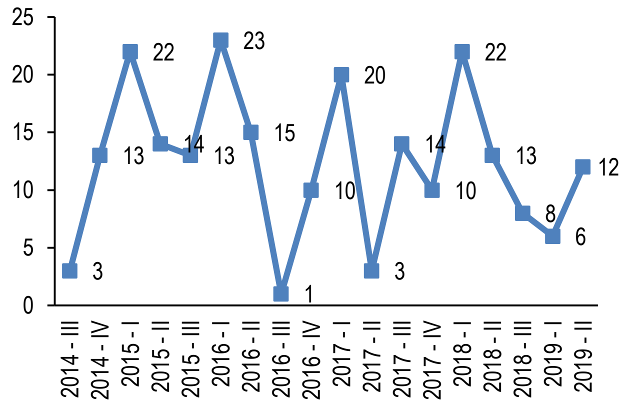

- सत्र के दौरान सोमवार से शुक्रवार, कुल 6 घंटे प्रतिदिन विधानसभा की बैठक होती है। 13वीं विधानसभा ने निर्धारित समय का 112% कार्य किया, यानी प्रति दिन औसत 6 घंटे 44 मिनट।
- सबसे अधिक उत्पादक सत्र 2015 का पहला सत्र था (निर्धारित समय का 139%), इसके बाद 2017 का चौथा सत्र (130%)। 2017 के पहले सत्र की उत्पादकता सबसे कम (निर्धारित समय का 64%) थी, इसके बाद 2017 का दूसरा सत्र आता है (67%)।
- पिछले पांच वर्षों में विधानसभा की कुल 222 दिन बैठक हुई। यह प्रति वर्ष औसत 44 दिन हैं जोकि अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं से अधिक हैं।

53% विधायकों की आयु 55 वर्ष से कम

विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर विधायकों का प्रतिशत

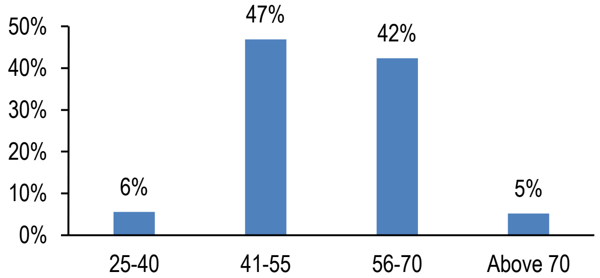

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विधायकों का प्रतिशत

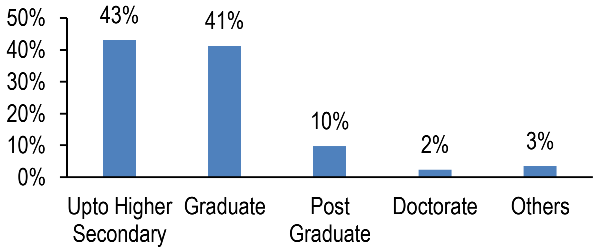

मनीष कानडजे
manish@prsindia.org

14 अक्टूबर, 2019

- महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में कुल 288 निर्वाचित सदस्य हैं और एक नामित सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय का है।
- 47% विधायकों की आयु 41 से 55 वर्ष के बीच है और 42% सदस्य 56 से 70 वर्ष के बीच के हैं।
- 43% विधायकों ने हायर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। 53% विधायकों के पास बैचलर और उससे उच्च डिग्री है जिनमें से 10% पोस्ट ग्रैजुएट और 2% डॉक्टरेट हैं।

7% तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर मिले

स्वीकृत तारांकित प्रश्न

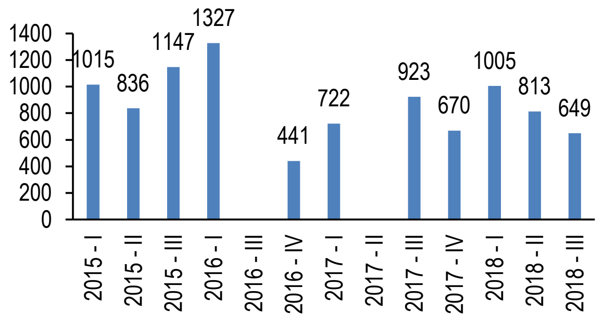

मौखिक उत्तर वाले तारांकित प्रश्नों का प्रतिशत

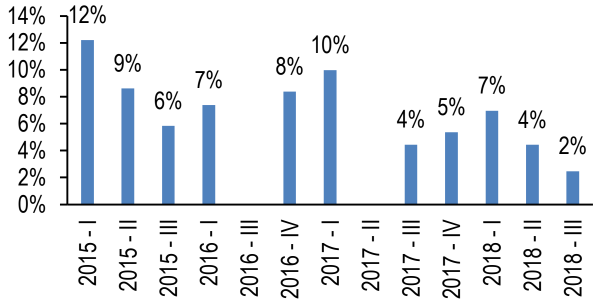

Note : Sessions 2016 - III and 2017 - II had one and three days of functioning respectively.

- विधानसभा प्रत्येक दिन प्रश्न काल से प्रारंभ होती है। इसके जरिए सदस्य सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
- संबंधित मंत्री तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर देता है। 2015 और 2018 के बीच, 2016 के दूसरे सत्र को छोड़कर, कुल 9,548 तारांकित प्रश्नों को मंजूरी मिली। मंत्री द्वारा 7% प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदन में आधे घंटे की 46 चर्चाएं हुईं

आधे घंटे की चर्चा

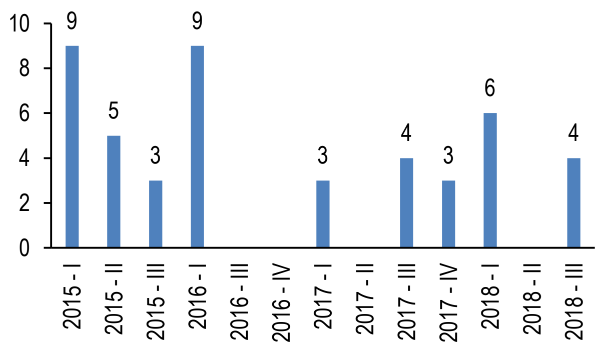

- अगर किसी प्रश्न के उत्तर को अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत होती है तो विधायक उस पर आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकता है।
- 2015 से 2018 के बीच, 2016 के दूसरे सत्र को छोड़कर, आधे घंटे की चर्चा के कुल 575 नोटिस दिए गए।
- इनमें से 350 नोटिस मंजूर किए गए और 46 पर सदन में चर्चा हुई।
- सदन के प्रत्येक सत्र में आधे घंटे की औसत 3.5 चर्चाएं हुईं।

सदन में 371 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई

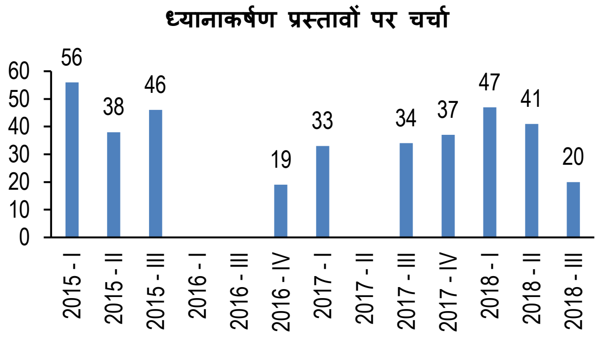

- एक विधायक, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है जिस पर मंत्री अपनी प्रतिक्रिया देता है।
- 2015 से 2018 के बीच ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के 27,585 नोटिस प्राप्त किए गए और 1,121 नोटिसों को मंज़ूर किया गया।
- सदन में 371 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

Sources: Maharashtra Legislative Assembly website (http://www.mls.org.in) and Maharashtra Legislative Assembly's Brief Report on working of Assembly from 2015 to 2018. The report for the second session of 2016 is not available with us; this analysis does not include the data from that session. Age of members in 2019 has been calculated using their age in candidate affidavit data from the Association for Democratic Reforms (http://www.myneta.info).

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।